



नवजागरण का सामाजिक प्रभाव

कुसुम कुमारी (नेट)

इतिहास विभाग

सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय

दुमका

उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दू धर्म एवं समाज में अनेक कुरीतियां एवं कुप्रथाएं व्याप्त थीं। लोगों का धार्मिक तथा सामाजिक जीवन कुत्सित हो गया था और कुरीतियों के दलदल में फंसे गए थे। सतीप्रथा, बाल-ववाह, बहू-ववाह, जात-पात की संकीर्णता, अस्पृश्यता, जाति-प्रथा के बंधन की कठोरता आदि कुप्रथाओं के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हिंदू धर्म शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। घर में रूढ़ि एवं परम्परा के कठोर बन्धनों में जकड़ गया था और उसमें उच्च दार्शनिक एवं धार्मिक सद्धान्तों का नितान्त अभाव था। धर्म के संचालकों को भी धर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं था। धर्म की रक्षा के लिए इन कुप्रथाओं का अन्त करना आवश्यक था। पुनर्जागरण के फलस्वरूप समाज-सुधारकों का ध्यान इन कुप्रथाओं की ओर आकृष्ट हुआ और वे इन बुराइयों को दूर करने का आंदोलन चलाने लगे।

उन्नीसवीं सदी के धार्मिक आंदोलन केवल धर्म-सुधार तक ही सीमित नहीं थे। समाज सुधार इन आन्दोलनों का मुख्य लक्ष्य था। भारतीय समाज और मुख्यतः हिंदू समाज में अनेक सामाजिक कुरीतियों का समर्थन धर्म के आधार पर किया जाता था जिसके कारण साधारण व्यक्ति इन कुरीतियों को तोड़ने का साहस नहीं कर पाते थे। इन धर्मसुधारकों ने यहां बताया कि इन सामाजिक कुरीतियों का स्थान हमारे धर्म में तो क्या समाज में भी ना था। यह कुरीतियाँ मुख्यतः राजनीतिक परिस्थितियों या अन्ध विश्वासों से उत्पन्न हुई थीं। अतएव इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना धर्म का वरोध करना नहीं है, बल्कि, इसके विपरीत अपने धर्म और समाज को शक्तिशाली बनाना है। ब्रह्म समाज में स्त्रियों को समान अधिकार दिया गया और उसमें जाति-प्रथा का कोई स्थान नहीं रहा। आर्यसमाज में स्त्री गुरुकुलो की स्थापना की और शुद्ध आन्दोलन को आरंभ करके ना केवल जाति समानता पर ही बल दिया बल्कि ईसाई और इस्लाम धर्म के मतावलम्बियों के लिए भी हिंदू धर्म और समाज के द्वार खोल दिए स्वामी ववेकानंद ने सभी मनुष्य को ईश्वर का स्वरूप बनाकर ना केवल जाति प्रथा की जड़ का पर प्रहार किया बल्कि स्त्री और पुरुषों को समान पद प्रदान किया आधुनिक समय में सभी राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने समाज सुधार के कार्य को जो महत्त्व प्रदान किया है उसका मूल कारण उन्नीसवीं सदी के यह धार्मिक और सामाजिक आंदोलन ही थे अब सती-प्रथा और बाल-ववाह से हमारा समाज कार्य मुक्त है वधवा ववाह और अंतर जाति ववाह संभव है पर्दा-प्रथा कार्य समाप्त है वदेश यात्रा साधारण



बात समझी जाती है तथा स्त्री शिक्षा और शहर शिक्षा हमारी शिक्षा के अंग बन चुके हैं इस प्रकार हिंदू समाज के अनेक प्रति क्रियावादी तत्व में समाप्त कर दिए गए हैं। ब्रह्म समाज बोलता है एक सुधारवादी संस्था थी उसने हिंदू समाज में व्याप्त समस्त बुराइयों व कुरीतियों पर खुलकर कुठारघात किया। सती प्रथा, बाल ववाह, कन्या-वध, बहु- ववाह, पर्दा प्रथा जाति प्रथा, मद्यपान व अस्पृश्यता ऐसी कुरुख कथाएं थी जो हमारे देश में शक्ति रस को निरंतर चूसकर उसे खोखला कर रही थी। ब्रह्म समाज के निरंतर प्रयास के कारण कालांतर में सती प्रथा के वरुद्ध कानून बनाया गया और भारतीय संवधान के अंतर्गत कई कुरीतियों को अवैध घोषित किया गया जिसमें जाति-प्रथा, बाल ववाह, बाल-हत्या आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जब मैं समाज के प्रयासों के फलस्वरूप वधवा ववाह और अंतरजातीय ववाह को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ तथा जाति प्रथा की कठोरता भी धीरे-धीरे कम होने लगी आधुनिक भारतीय सरकार के द्वारा उठाए गए अनेकानेक महत्वपूर्ण कदमों के बाद भी जाति प्रथा को समूल नष्ट नहीं किया जा सका और यह समाज भी कसी ना कसी रूप में वद्यमान है, पर भी इस दिशा में ब्रह्म समाज के प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता।

सामाजिक सुधार स्वामी दयानंद सरस्वती को ना तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था और ना ही पर पश्चिमी सभ्यता का कोई प्रभाव था। अतः वह हिंदुत्व के प्रतीक थे इसी कारण वे भारतीय समाज को सुधारने के इच्छुक थे। वे जाति-पाति के प्रबल वरोधी थे क्योंकि वेदों में इसका कोई उल्लेख नहीं है और जिस चतुर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है वह भी कर्म पर आधारित थी। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के प्रबल वरोधी थे। अछूतों को भी वह समान अधिकार दिलाना चाहते थे। साथ ही स्त्री-शिक्षा और पुरुषों से उनकी समानता के थे समर्थक थे परंतु सह शिक्षा उन्हें स्वीकार नहीं थी। उन्होंने बहु-ववाह और बाल ववाह और पर्दा-प्रथा का डटकर वरोध किया। कुछ विशेष दशाओं में उन्होंने वधवा-ववाह का समर्थन किया था

शुद्ध प्रथा के द्वारा उन्होंने अनेक धर्म परिवर्तित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। यद्यपि इस प्रथा के कारण आर्य समाज का पर्याप्त वरोध हुआ परंतु स्वामी दयानंद ने उसकी कोई चंता नहीं की। उन्होंने पहली बार खुलकर ईसाई मत और इस्लाम पर प्रहार किए और भारतवासियों में साहस का संचार किया ताकि हिंदुत्व का वृक्ष हम सदैव पनपते रहे।

स्वामी ववेकानंद का धर्म केवल मंदिर की चारदीवारी तक सीमा नहीं था अपितु जन-जन के हित में नहीं था। वे मानव सेवा को विशेष महत्व प्रदान करते थे। यह भारतवर्ष में व्याप्त है शिक्षा और दरिद्रता को समाप्त करने के अत्यंत इच्छुक थे। सामाजिक क्षेत्र में सुधार हेतु थी थयोसो फकल सोसाइटी में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किये। समाज में हिंदू समाज में प्रचलित बाल-ववाह, वधवा ववाह, कन्या-वर वक्रय और छुआछूत आदि पर कुठारघात करते हुए



समाज सुधार के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये। अपने इन उपलब्धियों के कारण ही थयोसो फकल सोसाइटी को भारतवर्ष के शक्ति वर्ग में अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। थयोसो फकल सोसाइटी प्रमुख उद्देश्य निम्न थे

1. समस्त धर्मों की मूलभूत एकता
2. जीवन का महत्व और वश्व बंधुत्व का प्रचार
3. बहय आडंबर का वरोध
4. प्राचीन रूढ़ियों को रीति-रिवाजों परंपराओं व श्वासों और कर्मकांड का प्रबल वैज्ञानिक समर्थन कर प्राचीन आदर्शों और परंपराओं को तो पुनर्जीवित किया ।

यह संस्था सामाजिक धार्मिक को राष्ट्रीय निर्माण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण अंग रही आजकल इस सोसाइटी की कुछ शाखाएं केवल दक्षिण भारत में शेष हैं जो धर्म और सुधार कार्यों में लगी हुई हैं परंतु उत्तर भारत में इसका प्रचार नगण्य है ।

वास्तव में इन सामाजिक एवं सुधार आंदोलनों के कारण हिंदू समाज एवं धर्म में व्याप्त बुराइयों का अंत हो गया और देश में आधुनिकीकरण और नवजागरण का सूत्रपात हुआ। जिसके फलस्वरूप समाज सुधार के कई महत्वपूर्ण कार्य किये गए । इनमें से कुछ सुधार कार्यों का संक्षिप्त वर्णन अग्र लेखत है।

शशु हत्या का अंत :- सर्वप्रथम महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया वह शशु हत्या का अंत करना था शशुओं की यह मानुषी का हत्या शष्प्यों को गंगा के मुहाने पर समुद्र में फेंक कर या कन्याओं को उचित पौष्टिक भोजन से वंचित कर या माता के स्तनों को वश युक्त करके की जाती थी । यह हत्या सन 1795 के मंगल रेगुलेशन 21 और सन 18 सो 5 के रेगुलेशन छह से जिसे देख कर दी गयी ।

सती प्रथा का अंत भारत में द्वितीय महत्वपूर्ण सुधार सती-प्रथा का अंत था जो राजा राममोहन राय के निरंतर प्रयासों से सफल हुआ । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का नाश करने के लिए सरकार का हाथ बताया और सती प्रथा के वरुद्ध सक्रिय प्रचार किया व्यवहारिक वरोध के फलस्वरूप लॉर्ड वलयम बेंटिक ने सन 1829 में सती-प्रथा और गैर-कानूनी घोषित कर दी।

बहु ववाह और बाल ववाह का अंत : आधुनिक युग में राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने बहु ववाह के वरुद्ध आवाज बुलंद की और उनके इस कार्य को उनके पश्चात अन्य अनेक उत्साही कार्यकर्ताओं ने जारी रखा । सन 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट



द्वारा जो केशवचंद्र सेन के प्रयत्नों से स्वीकृत हुआ था , बाल-ववाह का उन्मूलन कर दिया गया,

बहू- ववाह को दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया , वधवा-ववाह तथा अन्तर्जातीय ववाह उन लोगों के लिए स्वीकृत कर दिए गए जो इस कानून के अधीन होना चाहते थे। आर्य- समाज ने भी बाल ववाह का अन्त करने के लिए कठिन प्रयत्न किये और आधुनिक युग के सबसे बड़े पारसी सुधारक बी. एस. मालाबारी ने भी बाल -ववाह के वरोध में सन 1884 में सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। फलस्वरूप, सन 1891 में 'एज आफ कनसेन्ट' कानून स्वीकृत हुआ। इसके अनुसार घोर वरोध होने पर भी ववाह की आयु 10 वर्ष से 12 वर्ष कर दी गई। सन 1901में बड़ौदा राज्य की सरकार ने 'इनफेन्ट मैरिज प्रीवेंशन एक्ट' द्वारा ववाह के लिए कन्या की आयु 12 वर्ष और लड़कों की आयु 16 वर्ष कर दी। सन 1930 में व्यवस्थापक सभा और राज्य-सभा ने अजमेर में हर वलास शारदा द्वारा प्रस्तावित चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट बिल को स्वीकृत कर दिया इसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का ववाह दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया। परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और शिक्षा ने बिना किसी प्रयास के ही लड़के और लड़कियों को वैवाहिक आयु सुधारकों और कानून-निर्माताओं की आशा से भी अधिक बढ़ा दी है। सामाजिक परंपरा के अनुसार वधवा-ववाहों की आड़ में हिंदू पति अपनी पत्नी के जीवित रहने पर भी अन्य ववाह कर सकते थे और अनेक ने कए भी परंतु शिक्षा प्रचार व प्रगति के साथ साथ सामाजिक-दृष्टिकोण बदल गया और इस प्रथा का प्रायः अंत हो चुका है।

वधवा ववाह आंदोलन :- 18वीं शताब्दी के मध्य में हिंदू समाज में वधवा -ववाह को प्रचलित करने के लिए प्रयास किया गया , पर वह असफल रहा। पंडित ईश्वरचंद्र वधासागर 1802- 9891 ने वधवा ववाह के लिए तीव्र आंदोलन किया और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार के पास एक निवेदन पत्र भी भेजा। उनके भारतीय प्रयत्नों के परिणामस्वरूप सन 1856 में एक कानून बना जिसके अनुसार वधवा -ववाह को कानूनी मानकर ववाहित गीत वधवाओं की संतान की वैधता घोषित कर दी गई। ब्रह्म-समाज और आर्य-समाज ने वधवा-ववाह को लोकप्रिय बनाने हेतु दिव्य प्रयास कए। सभी प्रान्तों में वधवा -ववाह आंदोलन के समर्थक होने लगे सन 1861 में स्थापित मुंबई की वधवा-भवन संस्था अहमदाबाद में भी प्रारंभ की गई। वधवा-पुनर्ववाह संस्थान, मैसूर की महारानी स्कूल, पंजाब में पत्र संस्था, और लखनऊ की हिंदू-ववाह सुधा लीग, सभी ने वधवाओं की दयनीय दशा को सुधारने के लिए प्रशंसनीय कार्य कए। अनेक प्रगतिशील उदार और दानशील



व्यक्तियों ने वधवाओं के लए आश्रमों की व्यवस्था की एवं उनके शक्षा आदि का प्रबंध भी किया। शक्षालयों, अस्पतालो तथा अन्य संस्थाओं में श क्षत वधवाओ को नौकरियां देकर उनके वेघव्य जीवन की जटिलता, नीरसता और यातनाओ को कम किया गया। समय समय-पर श क्षत वर्गने उनकी वभाग भी कराएं और वधवा - ववाह को सामाजिक दृष्टि से निष्कलंक बता कर प्रोत्साहित किया गया।

स्त्री शक्षा की प्रगति :- प्राचीन भारत में स्त्री शक्षा का प्रचार खूब था। मध्यकालीन भारत में यत्र - तत्र इसका अस्तित्व व घमान था पर मुगल - साम्राज्य के पतन के बाद से ही

स्त्री - शक्षा को कसी प्रकार का प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फर इस परंपरा की जागृति हुई और स्त्री- शक्षा को नवीन प्रेरणा मली। सन 1857 के सपाही- वद्रोह के पूर्व हिंदू कन्याओं के लए स्कूल स्था पत कए गए और ईसाई धर्म -प्रचारकों ने ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों के लए पाठशा लाएँ खोली। मई 1849 ईसवी में सर्वप्रथम कोलकाता में हिंदू बा लका वद्यालय नाम से एक बा लका वद्यालय की स्थापना हुई लॉर्ड डलहौजी ने इस बा लका व घालय के लए रुपयों का अनुदान दिया। सन 1857 तक लगभग 100 राजकीय महिला वघालय की स्थापना हो गायी। सपाही - वद्रोह के बाद सरकार तथा अनेक सामाजिक संस्थाओं , जैसे ब्रह्म - समाज, आर्य - समाज, थयोसो फकल सोसाइटी सर्वेट ऑफ़ इंडया सोसाइटी से स्त्री - शक्षा को खूब प्रोत्साहन मला। डक्कन शक्षा-स मति ने भी

स्त्री- शक्षा की समस्या को हल करने के लए महत्व पूर्ण सहायता प्रदान की। सन् 1907 में इंडयन वमेन एसो सएशन की स्थापना के बाद से स्त्री- शक्षा की ओर अ धक ध्यान नहीं दिया गया , अ पतु उनकी साधारण दशा सुधारने के प्रयत्न भी कए गए। सन 1909 में पूना में श्रीमती रानाडे द्वारा स्था पत पूना सेवा सदन , सन 1908 में मालाबारी द्वारा स्था पत सेवासदन सोसाइटी और सन 1914 में वमेंस मे डकल सर्वस ने नर्स और मडवाइफ के प्र शक्षण के लए शशु - स्वास्थ्य- रक्षा तथा मातृत्व की प प्रगति हेतु और वधवाओं को नौकरी दिलाने के लए प्रशंसनीय कार्य कए। सन 1916 में दिल्ली में स्था पत लेडी हा र्डग मे डकल कॉलेज स्त्रियों को एम .बी.बी.एस. की शक्षा दे रहा है और भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी का मेटर नीटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो ही महिलाओं को लाभप्रद सेवा ओ की शक्षा दे रहा है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के लए अनेक व घालय और महा वद्यालय खोले गए और इस दिशा में प्रतिदिन प्रगति होती जा रही है। निम्न वर्गों में स्त्रियों की उन्नति की ओर ध्यान दिया जा रहा है। यदि एक और निर्धन पुरुषों की भाति उसी वर्ग की स्त्रियां अपने जी वकोपार्जन हेतु मलो में मजदूरी , संस्थाओं में कार्य और खेती में संलग्न है



तो दूसरी ओर से शक्ति स्त्रीयां वद्यालयों, शशुग्रहो, आश्रमों और अस्पतालों का संचालन कर रही है।

प्रांतीय तथा अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश कर रही है, सरकारी और गैर-सरकारी पदों के लिए चुनी जाने लगी है, और देश वदेश में भारत सरकार के राजनीतिक-हितों का प्रतिनिधित्व कर रही है सन 1947 के बाद स्त्रीयां न्याय - विशेषज्ञ मंत्री और राजदूत भी होने लगी । भारत के नवीन कानूनों और संवधान द्वारा स्त्रियों को संपत्ति का उत्तराधिकारी बना कर उनको आर्थिक स्वतंत्रता दी गई और समान अधिकार देकर समस्त लिंग-भेदों को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार, साहित्य, शासन और स्वदेश रक्षा के क्षेत्र स्त्रियों के लिए समान रूप से खोल दिए गये।

महिला मताधिकार आंदोलन :- सन 1917 के पश्चात इस आंदोलन को अपूर्व सफलता मिली और स्त्री आनेक कोसलों, संस्थाओं, कारपोरेशनों और म्युनिसिपैलिटियों में सदस्य होने लगी। कटिपथ ने भारतीय कांग्रेस में भाग लिया । उनसे संबंधित मताधिकार की योग्यताएं उदार कर दी गईं और उन्हें मत देने का अधिकार दिया गया । सन 1935 के भारत सरकार के एक्ट ने स्त्रियों को केंद्रीय तथा प्रांतीय धारासभा में स्थान दिये। भारत के नवीन संवधान में प्रत्येक बालक स्त्री को मताधिकार दिया गया है।

पर्दा प्रथा का अंत :- स्त्री शिक्षा से संबंधित ही पर्दा प्रथा का उन्मूलन है । शक्ति हिंदू महिलाओं ने ही नहीं अपितु शक्ति मुसलमान महिलाओं ने भी पर्दा-प्रथा का बहिष्कार किया है। यद्यपि दक्षिण भारत में इस प्रथा का अस्तित्व ही नहीं था , तथापि संपूर्ण देश में सामान्य जागृति, शिक्षा आदि के प्रभाव से इस प्रथा का अंत हो रहा है

दास प्रथा का अंत :- समाज में दासत्व एवं एक भयंकर अभशाप रहा । सन 1811 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने भारत के दासों के आयात पर रोक लगा दी और सन 1832 में दासों को एक जिले से दूसरे जिले में क्रय-विक्रय अपराध-मान दिया गया । ईस्ट इंडिया कंपनी नेशन 1833 के आज्ञापत्र द्वारा भारत के दासता का अंत कर दिया गया और सन 1834 के कानून के अनुसार यह गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया और भारतीय दंड-वधान के अनुसार दास-व्यापार एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया।

दलित वर्ग की उन्नति :-आधुनिक युग वर्ग-व्यवस्था के सबसे अधिक विकृत स्वरूप अछूतों की समस्याओं में व्यक्त हुआ । अछूत हिंदू समाज के अंग होते हुए भी उसे बहिष्कृत माने जाने लगे । मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों, कुओं उत्सवों, वद्यालयों आदि के उपयोग से



उन्हें वंचित कर दिया गया। दक्षिण-भारत में सर्वर्ण हिन्दू अछूतों की छाया - मात्र से इस पर से ही अपने को अपवन्न मानने लगे। वे राजनीतिक नौकरियों, अधिकारों व मतों से वंचित कर दिए गए। दरिद्रता व अशिक्षा ने उनके नैतिक स्तर पर अत्यधिक गहरा दिया। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक नियंत्रणों, अयोग्यताओं व सुविधाओं के बोझ से वे कराहने लगे। अस्पृश्यता का कलंक हिन्दू समाज का उपहास करने लगा।

नवजागरण के फलस्वरूप दलित जातियों ने भी नवीन चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। उनकी दशा सुधारने के लिए इसाई धर्म प्रचारकों इसाई संस्थाओं थियोसॉफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन और विशेषकर आर्य समाज ने अथक प्रयत्न किये। यदि इसाई धर्म प्रचारकों ने अनेक को अछूत इसाई बना लिया तो आर्य-समाज ने शुद्ध द्वारा उनमें से अनेक को पुनः हिन्दू समाज में ले लिया। सन 1916 में मुंबई में स्थापित दलित-वर्ग मिशन समाज, गांधीजी के हरिजन आंदोलन, हरिजन सेवक संघ, 'हरिजन' पत्र व श्री गोखले के अनेक कानूनों ने दलित वर्ग की उन्नति में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया, उनको काम दिलाया, धंधों में लगाया, उनकी सामाजिक अयोग्यताओं का निवारण किया, उच्च धार्मिक सद्घातों की उन्हें शिक्षा दी, चरित्र द्वारा व्यक्तित्व-निर्माण और स्वस्थ नागरिकता का उपदेश दिया। स्वयं हरिजन भी अपने मानवीय अधिकारों के लिए आंदोलन करने लगे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे अछूतों की दशा अपेक्षाकृत-सुधारने लगी। अनेक मंदिर तथा सार्वजनिक स्थान हरिजनों के लिए खोल दिए गए, उनके लिए शिक्षा का भी समुचित प्रबंध कर दिया गया, सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए उन्हें उसे विशेष सुविधाएं दी गईं और भारत के नए विधान में उन्हें सभी प्रकार के अधिकार देकर भारत से अस्पृश्यता को सदैव के लिए विलुप्त करने का प्रयास किया गया। परंतु दलित-वर्गों की आर्थिक दशा आज भी संतोषप्रद नहीं है।

जाति प्रथा की शथलता :- आधुनिक युग में और विशेषकर बीसवीं शताब्दी में जाति जाति-प्रथा की जटिलता बहुत कुछ ढीली हो गई और उनके नियंत्रणों में स्थिरता आ गई। पहले खान-पान और विवाह वशयक जातियों के बंधनों से जकड़ा हुआ हिन्दू अपना पैतृक पैशा नहीं छोड़ सकता था और विदेशियों के संपर्क से दूषित होने के भय से जलपोत द्वारा विदेशी यात्रा भी नहीं कर सकता था। शिक्षित-वर्ग ने क्रमशः इन नियमों की अपेक्षा करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम, खान-पान और समुद्र यात्रा के बंधन तोड़े गए। रेल व मोटरो में प्रवास की आवश्यकताओं, आधुनिक औषधियों के सेवन, होटलों के खान-पान आधुनिक शिक्षा व पाश्चात्य विचारों के जातियों व अछूत और खान-पान के बंधनों को-शथल कर दिया। समूचे देश में एक कानून लागू होने तथा समानता के सद्घात का पालन होने से प्राचीन



जाति- भेद समाप्त हो गया और कानून द्वारा अनेक प्रांतों में जाति -बहिष्कार दंडनीय अपराध बना दिया गया। देश के सभी भागों में व भन्न जातियों में पारस्परिक खान-पान और अंतरजातीय ववाह को खूब प्रोत्साहन मलता रहा । आ र्थक परिस्थितियों के प्र हार से ववश होकर अनेक लोग पे तृक धंधों को छोड़कर व भन्न प्रकार के व्यवसायों को स्वतंत्रतापूर्वक करने लगे हैं । यद्य प वर्ण -व्यवस्था के प्रतिबंध अपेक्षाकृत श थल हो गए हैं , पर उनका अस्तित्व कसी ना कसी रूप में आज भी वद्यमान है।

संयुक्त परिवारप्रथा- परिवर्तित दशा में संयुक्त परिवार की व्यवस्था भी बदल ग यी। कुटुंब के व भन्न लोगों को नौकरी , वा णज्य उद्योग और स्था नाभाव के कारण एक ही परिवार के लोगों को भन्न भन्न स्थानों पर र-हना पड़ा परिवार के सदस्यों की आ य वह धंधे में अंतर होने के कारण परिवार में प्रच लत उदारता , स्नेह , सहयोग व सहायता का अंत हो गया। स्वतंत्रता समानता और व्यक्तिवाद क पाश्चात्य वचार श्रंखलाओ - के कारण संयुक्त परिवार-व्यवस्था को भारी आघात लगा और भारत में या द्रुत गति लुप्त होती जा रही है।

संदर्भ सूची

- .1अर वन्द देव, भारतीय समाज एवं जनजागरण, देव प्रकाशन, दिल्ली,2007 , पृ132.
- .2गोपाल घोष, इं डयन ट्रेड यूनियन मूवमेंट , रत्ना पब्लिकेशन , कलकत्ता,1961 , पृ। -171
172
- .3भूपेंद्र दत्ता, भारतेर द् वतीय स्व धनता संग्राम , पूर्वाहत, पृ56-55 .
- .4आर.सी. मजूमदार, हिस्ट्री ऑफ दि फ्रीडम मूवमेंट इन इं डया गुरुमंडल ग्रंथमाला, कलकत्ता, 1963,पृ205-204.
- .5वही
सुसोभन सरकार 6, बंगाल नवजागरण, ग्रंथ शल्पी, कलकत्ता,185-182.पृ 1997
- .7वही
- .8इंदुलाल याश्रीम एवं श्यामजी वर्मा कृष्ण ,लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन इं डयन रिवोलुशनरीनरी, अनुसंधन, प्रकाशन, बंबई , 1950 ,152-150
- .9हरिदास मुखर्जी एवं उमा व पन चन्द्र पाल एंड इं डयन स्ट्रगल फॉर स्वराज मॉडर्न पुब्लिकेशन, कलकत्ता,पृ34-31.